UPSI180002562009

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद सं०-834/ 2009

जसीमुन अजमल **बनाम** **अंजन कुमार सिंह।**

परिवाद संख्या-834/ 2009
धारा-138एन०आई०ऐक्ट,
थाना-महमूदाबाद, जिला-सीतापुर।

दिनांक-06.04.2026

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पुकार पर परिवादी उपस्थित तथा अभियुक्त अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते शेष परिवादी साक्ष्य नियत है। परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसे अन्य कोई साक्ष्य दाखिल नहीं करना है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित-08.09.2025 द्वारा अभियुक्त अंजन कुमार सिंह को फरार घोषित करते हुए उसके विरुद्ध वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा-335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अग्रसारित की गयी। अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु उसके विरुद्ध अनेकों बार गैर जमानती वारण्ट एवं अन्य आदेशिकाएं जारी की जा चुकी हैं, परन्तु अभियुक्त के न मिलने के कारण पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित है तथा इस न्यायालय में सन् 2009 से लम्बित है। **माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण (छह माह के अन्दर) हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं**, जिसके अनुपालन में प्रस्तुत पत्रावली का शीघ्र निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य अभियुक्त विवेक सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत वाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांकित-06.08.2025 द्वारा सूचीबद्ध होने की अग्रिम तिथि तक स्थगित की गयी है। अतः अभियुक्त विवेक सिंह की पत्रावली इस न्यायालय के आदेश दिनांकित-08.09.2025 द्वारा पृथक की जा चुकी है।

तदनुसार प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अंजन कुमार सिंह के विरुद्ध वाद की कार्यवाही अन्तर्गत धारा-335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त की जाती है। उपर्युक्त अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारण्ट निर्गत करते हुए थानाध्यक्ष थाना महमूदाबाद को इस निर्देश के साथ भेजा जाए कि वह स्थायी वारण्ट पर थाने के रजिस्टर क्रमांक से न्यायालय को अवगत करायें एवं फौजदारी लिपिक इस क्रमांक को पत्रावली पर लाल रंग से अंकित करें। यदि उक्त अभियुक्त भविष्य में गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या हाजिर होता है, तो प्रस्तुत वाद

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.06 17:21:24 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जाएगी। तब तक के लिए पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर हो तथा प्रस्तुत पत्रावली किसी भी दशा में विनष्ट न की जाए। संबंधित लिपिक को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूरक पत्रावली दर्ज करे तथा उस पत्रावली में इस आदेश की एक प्रति एवं अभियुक्त के विरुद्ध जारी स्थायी वारण्ट की प्रति रखा जाना सुनिश्चित करें।

(रोहित पुरी)
सिविल जज(जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)